

18 .01.21

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं. पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 328 रकबा 0.16 बीघा, आ. न. 329 रकबा 1.02 बीघा, आ.न. 331 रकबा 1.01 बीघा, आ.न. 332 रकबा 3.09 बीघा, आ.न. 341 रकबा 0.15 बीघा, आ.न. 766 रकबा 0.17 बीघा, आ.न. 1221 रकबा 1.02 बीघा, आ.न. 1314 रकबा 2.08 बीघा, आ. न. 1341 रकबा 1.02 बीघा, आ.न. 1342 रकबा 0.06 बीघा कुल किता 10 रकबा 12.18 बीघा तथा ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया की आराजी नम्बर 326 रकबा 01.00 बीघा, आ.न. 327 रकबा 0.17 बीघा, आ. न. 335 रकबा 0.14 बीघा, आ.न. 339 रकबा 0.19 बीघा, आ.न. 691 रकबा 0.03 बीघा, आ.न. 697 रकबा 0.09 बीघा, आ.न. 1222 रकबा 1.06 बीघा, आ.न. 1315 रकबा 2.08 बीघा कुल किता 08 रकबा 07.16 बीघा तथा ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया की आराजी नम्बर 330 रकबा 0.02 बीघा कुल किता 01 रकबा 0.02 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी गौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)